UPEW010015882026

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01632**

Bail Application 488/2026

राकेश बाबू उर्फ राकेश कुमार आयु 62 वर्ष पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम कुंवर काशीदीन थाना सौरिख जिला कन्नौज।

––– प्रार्थी/अभियुक्त

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य।

–––विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–278/2025
धारा 85,80(2)भारतीय न्याय संहिता व
धारा ¾ डी0 पी0 एक्ट
थाना–सैफई , जिला–इटावा।

1. आवेदक/अभियुक्त राकेश बाबू उर्फ राकेश कुमार की ओर से अपराध संख्या– 278/2025 धारा 85,80(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा ¾ डी0 पी0 एक्ट थाना–सैफई, जिला–इटावा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा रोहित कुमार द्वारा थाना प्रभारी सैफई को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ग्राम गंगापुर पोस्ट चौबिया थाना चौबिया जिला इटावा का निवासी है उसकी बहन का विवाह दिनांक 18.04.2025 को रामनिवास उर्फ कुलदीप पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम कुम्हावर थाना सैफई जिला इटावा के हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह स्त्री धन दान दक्षिणा गृहस्थी के सारे सामान के साथ विधिवत सम्पन्न हुआ था। उसकी ससुरालीजन दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नहीं हुये थे छोटी छोटी बातों पर प्रताडित करत थे। उसकी बहन के नाम खेत था जिसे बहन ने प्रार्थी के घर वालों के नाम कर दिया था जिस बात से क्षुब्ध होकर उसकी बहन के ससुराल वालों ने उसे बहुत मारा–पीटा था। ससुराल में पति रामनिवास उर्फ कुलदीप ससुर राकेश कुमार सास ऊषा देवी व ननद विनीता देवी पुत्री राकेश कुमार जो कि वर्तमान में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत है, जो कि उसकी बहन की मार पीटा करती थी। घटना दिनांक

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.03.24 15:57:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

27.11.2025 को लगभग दोपहर 1:00 बजे की है, प्रार्थी को सूचना प्राप्त हुयी कि उसकी बहन की उसके ससुरालीजनो ने हत्या कर दी है। वह तुरन्त ही अपनी बहन की ससुराल पहुँचा तो पता चला कि उसके ससुरालीजन उसके शव को गायब करने के लिये अपनी गाडी से लेकर भाग रहे थे कि उनकी गाड़ी इटगव के पास बिजली के खम्बे से टकरा गयी वह उन लोगो के पीछे पहुँच गया था और अपनी बहन को जिला अस्पताल इटावा लेकर गया जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया उसकी बहन का शव पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी इटावा में रखा है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त दण्ड प्रकरण में असत्य अभिकथन के साथ अनैतिक पारितोषक लेने से विफल होने पर झूठा संलिप्त किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा पंजीकृत कराई गई प्राथमिकी व अभियोगी के बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के परिशीलन से यह तथ्य निर्विवादित हो जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा वस्तुतः किस अतिरिक्त दहेज की मांग की गई, इसका कोई विशिष्ट उल्लेख भी नहीं है। उसका घटनास्थल से पृथक आवास है। वह मूलतः ग्राम कुंवरपुर काशीदीन थाना सौरिख जिला कन्नौज का मूल निवासी है। यहाँ उसका पैत्रिक आवास व कृषि भूमि है। यही पर रहकर सदैव से आवासित चला आ रहा है। इस अभिकथन के समर्थन में उसने अपना अभिलेखीय उद्धरण खतौनी वर्ष 2026 राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश निवासी ग्राम कुंवरपुर काशीदीन थाना सौरिख मौजूदा तहसील तिर्वा जिला कन्नौज व वर्ष 2006 का निवास प्रमाण पत्र तहसील तिर्वा जनपद कन्नौज एवं वर्ष 2006 अनसूचित जाति प्रमाण पत्र निवासी कुंवरपुर काशीदीन व वर्ष 2011 का भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र व वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट क्रम संख्या 150 पर उसका नाम पता एवं प्रार्थी से सम्बन्धित टी०सी० तथा भारतीय सेना में नियुक्त का प्रमाण पत्र एवं पैंशन भोगी कर्मचारी का प्रमाण पत्र प्रार्थी व उसके परिजनों का विवरण अंकित है। अभियोजन पक्ष द्वारा पंजीकृत कराई गई प्राथमिकी में व अभियोगी रोहित कुमार के बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इस साक्ष्य का उल्लेख नहीं है कि वस्तुतः अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज में किस वस्तु अथवा धनराशि की मांग की जा रही थी। सम्पूर्ण विवेचना में इस तथ्य का भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी अपना उसके परिजनों एवं रिश्तेदारों से रूबरू कोई दहेज की मांग की गई है जबकि मात्र दो साक्षीगण के बयान में इस तथ्य का उल्लेख है कि दहेज की मांग से सम्बन्धित मृतका ने उन्हें बताया था। यह साक्ष्य Hearsay साक्ष्य की श्रेणी में आती है जो साक्ष्य अधिनियम में ग्राहय नहीं है। प्रथम सूचना में अंकित यह तथ्य भी गलत है कि मृतिका ने प्रार्थी के घरवालों के नाम खेत कर दिया था। जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्तगण उसकी मारपीट करते थे। इसी कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है जबकि अभिलेखीय साक्ष्य के अनुरूप मृतिका की मृत्यु के उपरान्त विरासतन उसके स्वामित्व की कृषि भूमि अभियोगी व

उसके परिजनों ने उत्तराधिकार के तहत अपने नाम हस्तान्तरण करा ली है। मृतका द्वारा आत्महत्या किये जाने का एक अहम कारण यह है कि पिता के निधन के उपरान्त उत्तराधिकार में मृतका का स्वामित्व में लगभग ढाई बीघा कृषि भूमि दर्ज सरकारी कागजात हुई थी। इस भूमि से मृतका के मायके वालों ने 0.081 है० भूमि शादी के उपरान्त गीता देवी पत्नी रवि कुमार निवासी नगला घूमा थाना जसवन्तनगर को बेच कर विक्रय धनराशि को स्वयं ले लिया। जिसे मृतका विक्रय धनराशि से अपने परिजनों से निरन्तर वापस मांगती चली आ रही थी और इसी परिप्रेक्ष्य में मृतका का मायके वालों से विवाद भी होता था। जिस पर मृतका के मायके के परिजन मृतका के नाम शेष भूमि को अपने पक्ष में विक्रय विलेख लिखने के लिए दबाव बनाते चले आ रहे थे। इसी कारण मृतका डिप्रेशन में रहती थी और परिणामतः उसके द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाना सम्भावित हो गया। मृतका शबनम की मृत्यु के उपरान्त मृतका के जीवन काल में मोबाइल चैटिंग व वीडियो रिकार्डिंग का रिकार्ड देखने से ज्ञात हुआ कि वह अपनी बडी बहिन सोनी के पति एस०पी० सिंह की आशनाई में लिप्त रहती थी। यह भी सम्भव है कि जीजा से विलग होने के कारण सम्भवतः उसने इस प्रकार का कदम उठाया हो। प्रथम सूचना में अंकित यह तथ्य भी गलत है कि अभियुक्तगण अपनी गाडी को लेकर गायब करने की नीयत से जा रहे थे जबकि प्रार्थी व उसके परिजनों के स्वामित्व की कोई गाडी ही नहीं है। प्रथम सूचना में अंकित यह तथ्य भी गलत है कि अभिकथित घटना की दिनांक पर अभियुक्तगण ने मृतक शबनम की बहुत मारपीट की थी और उसकी हत्या कर दी थी जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दर्शाया गया Ausphyica as a result of hanging है जो स्वयं आत्महत्या की ओर इंगित करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ननद विनीता देवी को अभियुक्त बनाया गया है और यह भी अंकित किया गया है कि वह पुलिस विभाग में सिपाही है। विनीता देवी की संलिप्तता इस घटना में इसलिए गलत रूप से अंकित की गई है क्योंकि राजकीय कर्मचारी के रूप में हाथरस में उसकी पोस्टिंग है और अभिकथित घटना की दिनांक पर विनीता देवी द्वारा संस्थापित किये गये दहेज के मुकदमें में वह इटावा मीडिएशन सेन्टर पर उपस्थित थी। जहाँ उसके व उसके पति के बीच मीडिएशन कराया गया था और उसके व उसके पति के हस्ताक्षर भी कराये गये थे जबकि उक्त घटना दिन के एक बजे की बताई जाती है। अतिरिक्त दहेज की मांग के सम्बन्ध में मृतका के जीवन काल में कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र अथवा First Letter का कोई भी दस्तावेजीय साक्ष्य दौरान विवेचना नहीं दिया गया है। प्रार्थी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है और सीनियर सिटीजन है जिसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। सम्पूर्ण विवेचना में मात्र सामान्य दोषारोपण (General Alligation) लगाये गये हैं जिसमें प्रार्थी का कोई विशिष्ट रॉल नहीं दर्शाया गया है। घटनास्थल कुम्हावर थाना सैफई जिला इटावा में प्रार्थी व उसके परिजनों के स्वामित्व का मकान भी नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त अभियोग में न्यायिक अभिरक्षा के अन्तर्गत दिनांक 16.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका प्रतिभू

प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2026 को निरस्त किया जा चुका है। न्यायालय के समक्ष यह प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र है उसका कोई भी प्रतिभू अथवा पैरोल आवेदन पत्र न तो इस मान्य न्यायालय अथवा न ही माननहय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित हुआ है और न ही विचाराधीन है। उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस बल दिया गया कि आवेदक द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है, उसे झूठा फंसाया गया है जमानत पर रिहा किया जाये।

5. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रोहित कुमार की बहन (मृतका) की शादी दिनांक 18.04.2025 को आवेदक/अभियुक्त राकेश बाबू के पुत्र साथ हुई थी। आवेदक/अभियुक्त राकेश बाबू उर्फ राकेश कुमार अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तथा शादी के 08 माह के अन्दर दिनांक 27.11.2025 को मृतका की अपने ससुराल में असमान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राकेश बाबू उर्फ राकेश कुमार की ओर से अपराध संख्या 278/2025 धारा 85,80(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा ¾ डी0 पी0 एक्ट थाना–सैफई, जिला–इटावा के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 488/2026 निरस्त किया जाता है।

सम्बन्धित सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह ज़मानत आदेश की प्रति जिला कारागार इटावा को ज़रिए ई–मेल एवं BOMS से प्रेषित करें।

दिनांक 16.03.2026

(**अंकुर शर्मा**)
विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.)/अपर
सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632